न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारीः श्रीमती रीना छिम्पा {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या :12/2016

जसवीर सिंह पुत्र करनैल सिंह जाति कम्बोज निवासी 19 एफ तहसील श्री करणपुर।
1. नरेन्द्र सिंह पुत्र करनैल सिंह जाति कम्बोज निवासी 19 एफ तहसील श्री करणपुर।
2.

--प्रार्थीगण--

बनाम

कुलवीर सिंह पुत्र मुख्तयार सिंह जाति कम्बोज निवासी 19 एफ तहसील श्रीकरणपुर।
1. उद्यम सिंह पुत्र मुख्तयार सिंह जाति कम्बोज निवासी 19 एफ तहसील श्रीकरणपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) श्रीकरणपुर।
3.

--अप्रार्थीगण--

1. श्री इन्द्रजीत सिंह, अधिवक्ता -:प्रार्थीगण की ओर से:-
2. श्री सुधीर शर्मा, अधिवक्ता -:अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से:-
3. राजपैरोकार -:अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से:-

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए

--निर्णय-- दिनांक : 8/1/2019

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 19 एफ की जमावंदी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 28/27 के मु0न0 41, 79, 80, 86/19 की कुल भूमि 9.422 हैक्टर नहरी भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि साझा खाता की भूमि है। जो प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को अपने दादा पाल सिंह से जरिए वसीयत प्राप्त हुई है। इस भूमि का विधिवत बंटवारा नही हुआ है। काफी समय से अप्रार्थीगण उक्त भूमि के मु. न. 41 का पश्चिमी हिस्सा यानि किला न. 1,10,11,20,21,2,9,12,19,22 सालम सालम व किला न. 3,8,13,18,23 प्रत्येक आधा-आधा व मु.न. 79 के किला न. 21 ता 25 व किला न. 16 में 0.190 है. तथा मु.न. 80 के किला न. 11 में 0.063 है. पर काश्त करते आ रहे है। उक्त दोनों मुरब्बों में अच्छी ,उपजाउ व बाजार रेट से किमत ज्यादा है। मु.न. 41 का पूर्वी हिस्सा किला न. 5,6,15,16,25 व किला न. 4,7,14,17,24 तथा किला न. 3,8,13,18,23 प्रत्येक आधा-आधा व मु.न. 79 के किला न 13,14,15,17,18,19,20, कुल 4.711 है. भूमि जो रेतीली व कम उपजाउ है। जिसकी बाजार किमत काफी कम है। जिसे प्रार्थीगण काश्त कर रहे है। व मु.न. 41 के किला न. 21 में ही नाका है और खाला के साथ चिपती सारी अच्छी भूमि अप्रार्थीगण के पास है। मु.न. 79 की नहर के साथ चिपती भूमि अप्रार्थीगण के पास है। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 अपने हिस्सा की भूमि का बेचान अन्यत्र जगह करके किलेवाईज कब्जा सोपने की फिराक में है। विधिवत विभाजन होने से पूर्व विशेष रूप से विशिष्ट किला का कब्जा हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता। अप्रार्थीगण उक्त भूमि में बिना विधिवत किलवाईज विभाजन करने में सफल हो गये तो अप्रार्थीगण अच्छी व अधिक उपजाउ भूमि का कब्जा अवैध व गैरकानूनी तरीके से खरीददार को करवा देगें, तो प्रार्थीगण को न पूरा होने वाला नुकसान होगा। जिससे प्रार्थीगण को भूमि में आने जाने , काश्त करने व पानी लगाने में बडी असुविधा होगी। आज से 5 रोज पूर्व अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को उक्त भूमि का न्यायालय से विधिवत बंटवारा करके कागजात माल में दर्ज करवाने का कहा तो अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को स्पष्ट इन्कार करते हुए कहा कि हम ग्राहक मिलते ही अपने हिस्से की अच्छी व अधिक उपजाउ भूमि का बेचान करे कब्जा खरीददार को करवा देगे और विधिवत किलेवाईज बंटवारा से इन्कार कर दिया। प्रार्थीगण उक्त भूमि में सहखातेदार है जो अपने हिस्सा की भूमि किलेवाईज बंटवारा करवा पाने व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के कानूनी हकदार है। उक्त भूमि सयुक्त खाता की भूमि है। जो हमे अपने दादा से जरिए वसीयत प्राप्त हुई थी कानूनन जब तक भूमि का कानूनी रूप से बंटवारा नहीं हो जाता , तब तक प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा माना जाता है। अगर अप्रार्थीगण द्वारा बिना बंटवारा करवाये किसी अजनबी व्यक्ति को भूमि बेच दी और

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

Scanned by CamScanner

किलेवाईज कब्जा सौप दिया तो हम प्रार्थीगण को अपनी अच्छी भूमि से वंचित होना पडेगा। प्रथम दृष्टया ...ा, सुविधा का संतुलन, राईट एवं टाईटल प्रार्थीगण के पक्ष में होना पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मूलवाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि चक 19 एफ की जमाबंदी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 28/27 के मु0न0 41, 79, 80, 86/19 की कुल भूमि 9.422 हैक्टर नहरी भूमि मय खाल व बाग को किसी प्रकार से रहन बैय या हस्तान्तरित नहीं करे व किलावाईज भूमि का कब्जा नहीं सोपे। तथा मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सुधीर शर्मा उपस्थिति आए व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार यह बात सही है कि इस वादगत भूमि पर विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है यह कहना गलत है कि अच्छी व उपजाउ भूमि अप्रार्थीगण के पास है जबकि अच्छी व उपजाउ भूमि प्रार्थीगण के पास है जब तक कानूनी रूप से बंटवारा नहीं हो जाता तब तक प्रार्थीगण को भी भूमि बेचान से रोका जावे। अप्रार्थीगण इस भूमि के सहखातेदार है। अप्रार्थीगण भी भूमि की किस्म के अनुसार ही भूमि प्राप्त करना चाहते है। प्रार्थीगण भी अच्छी भूमि का बेचान नहीं करे। इसके लिए प्रार्थीगण को भी पांबद किया जावे।

बहस सुनी गई प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अकित तथ्यों को ...राते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थीगण अधिवक्ता के द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र खारिज हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थीगण के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में चक 19 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 28/27 की साझा खाता की 9.422 है. नहरी भूमि को विशिष्ट किलेवाईज बेचान से रोकने बाबत निवेदन किया है। अप्रार्थीगण के द्वारा अपने जवाब में प्रार्थीगण को विशिष्ट किलवाईज बेचान से रोकने बाबत निवेदन किया है। दोनो पक्षो को इस साझा खाता की भूमि में कौन- कौनसी भूमि प्राप्त होनी है यह तथ्य मूलवाद में साक्ष्य से तय होना है।

उपर्युक्त तथ्यो के विवेचन एवं पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्य सबूत के आधार पर इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि उभय पक्षकारान चक 19 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 28/27 के मु. न. 41,79,80,86/19 की साझा खाता की 9.422 है. नहरी, बाग मय खाला भूमि को विशिष्ट किलेवाईज बेचान नहीं करे, अपना हिस्सा बेचने पर रोक नहीं होगी। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार यह भूमि बैक के रहन है अतः बैंक मे राशि जमा कराने या अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर उक्त स्थगन आदेश प्रभावी नही होगा। पत्रावली निर्णित होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 3/7/2019. को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकृष्णपुर (श्री गंगानगर) सत्यमेव जयते

{श्रीमती रीना छिम्पा आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner